**दिनाँक 10 मई, 2016 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 124वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थितिः

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री संजय अग्रवाल | अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2. | श्री विशाल चौहान | प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 | निदेशक |
| 3. | श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा | प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 | प्रबन्ध निदेशक |
| 4. | श्री नील रतन कुमार | विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन | निदेशक |
| 5. | श्रीमती मंजू शंकर | उप निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो | निदेशक |
| 6. | श्री संजय कुमार सिंह | निदेशक(वाणिज्य) एवं निदेशक(वित्त) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 | निदेशक |
| 7. | श्री कृष्ण मुरारी मित्तल | निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 | निदेशक |
| 8. | श्री रामानन्द यादव | निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) एवं निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 | निदेशक |
| 9. | श्री एच0के0 अग्रवाल | कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 | संयोजक |

| विषय | निदेशक मण्डल का निर्णय |
|---|---|
| 124(01)<br>दिनाँक 1 अप्रैल, 2016 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 123वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | 124(01)<br>निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया। |
| 124(02)<br>स्व0 कैलाश चन्द्र कमल, समीक्षा अधिकारी की मृत्यु ग्रेच्युटी से वसूल की गयी धनराशि रू0 74,422/- को माफ किये जाने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में। | 124(02)<br>निदेशक मण्डल ने स्व0 कैलाश चन्द्र कमल, समीक्षा अधिकारी की मृत्यु को संज्ञान में लेते हुए उनको देय ग्रेच्युटी से वसूल की गयी धनराशि रू0 74,422/- पर मानवीय आधार लेते हुए माफ करने का निर्णय लिया और उक्त धनराशि का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती सरोज कमल, अनुसेवक को किये जाने के निर्देश दिये। |
| 124(03)<br>प्रदेश में स्थापित तापीय परियोजनाओं हेतु टैरिफ/रिव्यू/अपील याचिकाओं पर परामर्शी की तैनाती के सम्बन्ध में। | 124(03)<br>निदेशक मण्डल ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित तापीय परियोजनाओं, रोजा पावर, लैन्को अनपरा, ललितपुर परियोजना हेतु प्रस्ताव में वर्णित याचिकाओं के साथ-साथ समय-समय पर दाखिल की जाने वाली याचिकाओं/रिव्यू याचिकाओं/अपील के विरूद्ध प्रतिशपथपत्र/रिप्लाई हेतु परमर्शी तथा पा0का0लि0 द्वारा समय-समय पर दाखिल की जाने वाली याचिकाओं/रिव्यू याचिकाओं/अपील तैयार करने के लिये परामर्शी कार्य हेतु मेसर्स मधु गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सलाहकार नियुक्त करने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1020/CE/PPA/Consultancy Services दिनांक 05-03-2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। |

CHAIRMAN'S INITIAL

| विषय | निदेशक मण्डल का निर्णय |
|---|---|
| 124(04)<br>मेसर्स सीबरी ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा प्रदेश में अपशिष्ट से 15.5 मे0वा0 अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादित ऊर्जा मे से 15 मे0वा0 सरप्लस ऊर्जा पावर कारपोरेशन को विक्रय हेतु दिनांक 17–02–2016 को हस्ताक्षरित हुए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में। | 124(04)<br>निदेशक मण्डल ने एजेण्डे में प्रस्तुत विवरण के परिप्रेक्ष्य में एजेण्डे के बिन्दु सं0 16 में वर्णित नियम एवं शर्तो के आधार पर मेसर्स सीबरी ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लि0, रामपुर के साथ अपशिष्ट आधारित संयंत्र से 15 मे0वा0 ऊर्जा क्रय किये जाने हेतु दिनांक 17–02–2016 को हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 124(05)<br>मेसर्स शान्ति गोपाल कान्कास्ट लि0, चुनार, मिर्जापुर के साथ इनर्जी बैंकिंग एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में। | 124(05)<br>निदेशक मण्डल ने मेसर्स शान्ति गोपाल कान्कास्ट लि0, चुनार, मिर्जापुर के साथ इनर्जी बैंकिंग एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये कि प्रकरण में संबंधित फर्म द्वाराउ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को किस दर पर विद्युत उपलब्ध कराई जायेगी, का उल्लेख एवं औचित्य के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय। |
| 124(06)<br>दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सठियांव जनपद–आजमगढ़ में 15 मे0वा0 अधिष्ठापित क्षमता के कोजनरेशन प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा में से सरप्लस 10 मे0वा0 ऊर्जा सीजन में एवं 13 मे0वा0 ऑफ सीजन में क्रय करने हेतु दिनांक 01–03–2016 को हस्ताक्षरित हुए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में। | 124(06)<br>निदेशक मण्डल ने एजेण्डे के बिन्दु सं0 10 में वर्णित नियम एवं शर्तों के आधार पर, बगास आधारित 15 मे0वा0 अधिष्ठापित क्षमता के कोजन प्लान्ट से 10 मे0वा0 ऊर्जा सीजन में एवं 13 मे0वा0 ऊर्जा ऑफ सीजन में क्रय करने हेतु, दिनांक 01–03–2016 को हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 124(07)<br>वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र के हानियों के प्रतिपूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले बंधपत्रों हेतु मर्चेन्ट बैंकर की नियुक्ति के सम्बन्ध में। | 124(07)<br>निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी किये जाने वाले बंधपत्रों के संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करने हेतु मे0 ट्रस्ट इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स प्रा0 लि0, मुम्बई को मर्चेन्ट बैंकर नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। इस कार्य हेतु फर्म को अलग से कोई फीस देय नहीं होगी। |
| 124(08)<br>उदय योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की क्रेडिट रेटिंग हेतु एजेन्सी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। | 124(08)<br>निदेशक मण्डल ने उदय योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की क्रेडिट रेटिंग हेतु एजेन्सी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में M/s India Rating & Research Pvt. Ltd. New Delhi, M/s CRISIL Rating, Gurgaon and M/s Credit Analysis and Research Ltd. से प्राप्त प्रस्तावों पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अध्यक्षता में गठित निगोसियेशन समिति की संस्तुति के अनुरूप निम्नानुसार कार्यादेश निर्गत करने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:–<br><br>**Firm's Name** — **Order No. & Date**<br>M/s M/s India Rating & Research Pvt. Ltd. New Delhi — 841/CGM(FM)/F-I/UDAY/2016 Dt. 18.02.2016<br>M/s CRISIL Rating, Gurgaon — 842/CGM(FM)/F-I/UDAY/2016 Dt. 18.02.2016<br>M/s Credit Analysis and Research Ltd. — 840/CGM(FM)/F-I/UDAY/2016 Dt. 18.02.2016 |

CHAIRMAN'S INITIAL

| विषय | निदेशक मण्डल का निर्णय |
|---|---|
| 124(09)<br>उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org की रि–डिजाईनिंग, विकास एवं अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में। | 124(09)<br>निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org की रि–डिजाईनिंग, विकास एवं अनुरक्षण हेतु UPDESCO से उनके द्वारा दी गई शर्तों पर कार्य कराये जाने तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय रू0 9,43,786.00 (कर अतिरिक्त) को कारपोरेशन के आन्तरिक संसाधन मद से किये जाने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 124(10)<br>श्री राम बाबू, समीक्षा अधिकारी के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में। | 124(10)<br>निदेशक मण्डल ने श्री राम बाबू, समीक्षा अधिकारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकृत किया। |
| 124(11)<br>श्री अरूण कुमार (92006), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद का "निन्दा प्रविष्टि" के दण्ड के विरूद्ध अपील दिनाँक 10–09–2014 के सम्बन्ध में। | 124(11)<br>निदेशक मण्डल ने श्री अरूण कुमार (92006), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद का "निन्दा प्रविष्टि" के दण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनाँक 10–09–2014 का परीक्षण किया एवं उसमें कोई नवीन सार्थक तथ्य/साक्ष्य न पाते हुए उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया। |
| 124(12)<br>उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कार्मिक (अधिकारी) सेवा विनियम–1995 के स्थान पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 औद्योगिक सम्बन्ध (अधिकारी) सेवा विनियमावली–2016 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में। | 124(12)<br>निदेशक मण्डल ने इस प्रकरण में निदेशक मण्डल की 123वीं बैठक जो दिनाँक 01–04–2016 को सम्पन्न हुई थी, में लिये गये निर्णय कि इस नियमावली पर श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन की सहमति प्राप्त करते हुए उसे प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जाय, निरस्त करते हुए निर्देश दिये कि वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र के निगमों, जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आते हैं, को उससे अवमुक्त रखने हेतु प्रकरण शासन में सन्दर्भित है, पर शीघ्र निर्णय कराने के प्रयास किये जायें। तदुपरान्त यह प्रकरण पुनः निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| 124(13)<br>उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के आदेश सं0–5830–औ0सं0/2008 दिनांक 31.12.2008 द्वारा लागू सी0जी0एच0सी0–2006 की मानक दरों का पुनरीक्षण करते हुये सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरें कारपोरेशन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में। | 124(13)<br>निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के आदेश सं0–5830–औ0सं0/2008 दिनांक 31.12.2008 द्वारा लागू सी0जी0एच0सी0–2006 की मानक दरों का पुनरीक्षण करते हुये सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरें कारपोरेशन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में डॉ0 राजीव चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से यह जानकारी चाही कि NABH/NABL में पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, जिसके संदर्भ में वह स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाये। इस परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक को प्रकरण में सम्यक विचार विमर्श कर संस्तुति देने हेतु समिति के गठन के लिये अधिकृत किया गया। |

CHAIRMAN'S INITIAL

| विषय | निदेशक मण्डल का निर्णय |
|---|---|
| 124(14)<br>Notices of disclosure of interest received from all the Directors of the Company pursuant to Section 184 of the new Companies Act, 2013. | 124(14)<br>The Board took note of the general notice of disclosure received from all the Directors pursuant to Section 184 of the new Companies Act, 2013 (corresponding Section 299 of the old act) indicating their Directorship held in other companies as on 1st April, 2016 in Form MBP-1. The board passed the following resolution:-<br><br>**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 184(1) of the Companies Act 2013, read with rule 9(1) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, the disclosure of interest received from all the Directors of the Company as placed before the Board, be and is hereby taken on record." |
| 124(15)<br>कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 500–पैं0 एवं आर0–28/पाकालि/15 दिनाँक 14–05–2015 के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में अधिकृत की गई न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की राशि में हुई कमी का प्रतिकार करते हुए पूर्व की स्थिति अनुसार रू0 3865/– बहाल किया जाना। | 124(15)<br>निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 500–पैं0 एवं आर0–28/पाकालि/15 दिनाँक 14–05–2015 के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में अधिकृत की गई न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की राशि में हुई कमी का प्रतिकार करते हुए पूर्व की स्थिति अनुसार रू0 3865/– बहाल किये जाने के प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह देखते हुए कि वर्तमान में पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के कार्मिकों को पेंशन का भुगतान उ0प्र0 शासन स्तर से किया जा रहा है, के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया कि प्रस्ताव निदेशक मण्डल की संस्तुति के साथ उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाय एवं तदुपरान्त इस पर अग्रेतर कार्यवाही की जाय। |
| 124(16)<br>नॉन आर–एपीडीआरपी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में CSC E-Governmance Service India Ltd के माध्यम से जन सुविधा केन्द्रों पर विद्युत बिलों का ऑन लाइन भुगतान जमा कराये जाने के सम्बन्ध में। | 124(16)<br>निदेशक मण्डल द्वारा CSC E-Governance Service, India Ltd के जनसुविधा केन्द्रों पर प्रदेश के नॉन आर–एपीडीआरपी ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों का ऑन लाईन भुगतान लेने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक के एजेन्डा बिंदु 123(18) पर पारित निर्णयों में निम्न अतिरिक्त बिंदुओं को भी समावेशित करने का निर्णय लिया गया :–<br>1. प्रथम चरण में CSC E-Governance Service, India Ltd से एक वर्ष की अवधि हेतु LoI/अनुबंध किया जाये।<br>2. एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रबन्धन स्तर पर मॉडल की समीक्षा कर अग्रेतर वर्षो हेतु अनुबंध विस्तार किया जाये। |

CHAIRMAN'S INITIAL

| विषय | निदेशक मण्डल का निर्णय |
|---|---|
| 124(17)<br>2x660 मे0वा0 करछना परियोजना को विकासकर्ता मेसर्स संगम पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (स्वामित्व मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट्स लि0) से हस्तान्तरित कर UPRVUNL द्वारा विकसित किये जाने के सन्दर्भ में, मेसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के मध्य बी0टी0जी0 पैकेज हेतु बनी सहमति पर UPPCL के निदेशक मण्डल के विचारार्थ टिप्पणी | 124(17)<br>निदेशक मण्डल ने 2x660 मे0वा0 करछना परियोजना को विकासकर्ता मेसर्स संगम पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (स्वामित्व मेसर्स जे0पी0 एसोसिएट्स लि0) से हस्तान्तरित कर UPRVUNL द्वारा विकसित किये जाने के सन्दर्भ में, मेसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के मध्य बी0टी0जी0 पैकेज हेतु बनी सहमति के संबंध में निर्देश दिये कि इस प्रकरण में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर गठित समिति द्वारा पूर्ण परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक मण्डल के सम्मुख अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |

बैठक पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रारम्भ होकर पूर्वान्ह 11:45 बजे समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

दिनाँक: 23-05-2016
लखनऊ।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S INITIAL